

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६३-६४

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६३-६४

†रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

बड़े पत्तन न्यास विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†श्री कृष्णमूर्ति राव : (शिमोगा) : मैं भारत के कुछ बड़े पत्तनों के लिये पत्तन अधिकारी के गठन के लिये और उन प्राधिकारियों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबन्ध को निहित करने के लिये और इस से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य

†श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं भारत में कुछ बड़े पत्तनों के लिये पत्तन अधिकारी के गठन के लिये और उन प्राधिकारियों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्ध को निहित करने के लिये और इससे सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

भारत-पाकिस्तान वार्ता के बारे में वक्तव्य

†अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री अब अपना वक्तव्य दे सकते हैं ।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जो वक्तव्य मैं देना चाहता हूँ वह काफी लम्बा है । यदि आप चाहें तो मैं इसे पढ़ सकता हूँ . . .

†अध्यक्ष महोदय : यदि वक्तव्य लम्बा है तो इसे सभा पटल पर रख दिया जाय । मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि इसकी प्रतियां सदस्यों को मिल जायें ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं भारत-पाकिस्तान वार्ता पर एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ ।

वक्तव्य

पिछली ७ मई को मैंने सदन में एक बयान दिया था जिसमें मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर और उससे सम्बद्ध दूसरे मामलों पर दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी उसका जिक्र किया था ।

†मूल अंग्रेजी में

इस बातचीत की शुरुआत उस मिले-जुले बयान से हुई थी जो २० नवम्बर, १९६२ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मैंने दिया था और जिसमें हम दोनों ने अपनी सहमति प्रकट की थी कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर और अन्य मामलों को सुलझाने के लिए नए सिरे से कोशिश करेंगे ताकि दोनों देश परस्पर शान्ति और मित्रता के साथ रह सकें। ३० नवम्बर को मैंने सदन में उस मिले-जुले वक्तव्य के बारे में एक बयान दिया और उस बातचीत का जिक्र किया जो यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रमंडल सम्पर्क मंत्री श्री डंकन सैंड्स और अमरीका के सहायक विदेश मंत्री और मेरे बीच हुई थी।

इस मिले-जुले वक्तव्य के आधार पर ही रेल मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उक्त बातचीत के छह दौरों में हिस्सा लिया। इन छहों दौरों में, जो करीब पांच महीने चले, पाकिस्तान काश्मीर के सिवा किसी और मसले पर बातचीत करने को तैयार नहीं हुआ।

जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, भारत की नीति सदा ही यही रही है और अब भी है, कि पाकिस्तान के साथ मित्रता और सहयोग के सम्बन्ध रहें। दोनों देशों के बीच इस प्रकार के सम्बन्धों का न होना बदकिस्मती ही न होगी बल्कि इससे दोनों देशों के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध भी टूट जायेंगे, जो एक युग से दोनों देशों के बीच बने हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि दोनों देशों के लिये एक मात्र उचित रास्ता यही है कि दोनों देश आपस में मित्रता और सहयोग विकसित करें और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें। दोनों देशों के व्यापक हित की दृष्टि से हमने काश्मीर समेत भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवादों को विवेक और वास्तविकता के आधार पर सुलझाना चाहा है। और इसी लिए हम बातचीत के लिए राजी हो गये थे, लेकिन जैसा कि सदन को मालूम ही है, न्यायसंगत और सम्मानजनक समझौते पर पहुंचने की सरदार स्वर्ण सिंह की हर कोशिश के बावजूद यह बातचीत विफल रही।

शुरू से ही पाकिस्तान सरकार ने ऐसे कदम उठाये जो समझौते के रास्ते में रुकावट बने। जिस दिन इस बातचीत का पहला दौर रावलपिंडी में शुरू होने वाला था उससे पहली शाम को पाकिस्तान ने काश्मीर की सिक्कांग से मिलने वाली सीमा के बारे में चीन के साथ तथाकथित सिद्धान्तरूप में समझौते का एलान कर दिया। जाहिर है कि इस एलान का ऐसा समय इस इरादे से चुना गया था कि भारत भड़क जाए और दूसरे दिन सवेरे बातचीत करने से इन्कार कर दे। हमने यह महसूस किया कि बातचीत के भविष्य के लिए यह एक अपशकुन था। फिर भी, चूंकि हम दिल से समझौता चाहते थे इसलिए हमने बातचीत जारी रखी।

पहली पूरी बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने काश्मीर को छोड़ कर भारत-पाकिस्तान के बीच के किसी अन्य मतभेद पर बातचीत करने की अनिच्छा दिखाई और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काश्मीर का सवाल सब से पहले हल किया जाना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह ने अपने प्रारम्भिक भाषण में उन विषयों की सूची दी जिन पर विचार-विमर्श होना चाहिए था। लेकिन श्री भुट्टो ने इस बात पर जोर दिया कि वे सिर्फ काश्मीर पर ही बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की जिद की वजह से काश्मीर के मामले में जनमत संग्रह के पुराने विचार पर दोस्ताना लेकिन फिजूल बातचीत में काफी समय लग गया, जब कि यह विचार, मुख्य रूप से पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र कमीशन के प्रस्तावों पर अमल न करने और उसमें अड़चन डालने की कारवाइयों की वजह से पहले ही अव्यावहारिक सिद्ध हो चुका था खास कर पिछले १५ वर्षों की अपरिवर्तनीय हालतों को देखते हुए।

इसके बाद पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान समझौते पर हस्तक्षर किए और इसमें पाकिस्तान ने लगभग दो हजार वर्गमील का हमारा इलाका चीन को दे दिया। यह तथ्य है कि पाकिस्तान ने

यह सब उस समय किया जब कि हमारी बातचीत चल रही थी। यह इस बात का सूचक है कि उसने इस बातचीत को कितना महत्वहीन समझा। यह एक बड़ी असाधारण बात थी कि जिस समय यह बातचीत चल रही थी उसी समय पाकिस्तान हमारे प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा चीन को देने में व्यस्त था, जिसने हमारी धरती पर आक्रमण किया था। पाकिस्तान का साफ साफ यही उद्देश्य था कि जम्मू-काश्मीर के हमारे इलाके के एक हिस्से के बारे में हमें कुछ कहने का अधिकार न हो और राज्य के बाकी हिस्से के बारे में वह अपने हाथ खुले रखे। अगर हम बातचीत वहीं खत्म कर देते तो भी हमारा कोई दोष न होता, लेकिन अपना कड़ा विरोध प्रकट करने के बाद हमने बातचीत जारी रखी।

पाकिस्तान के चीन के साथ प्रारम्भिक समझौता कर लेने के बावजूद रावलपिंडी की बातचीत दोनों प्रतिनिधि-मंडलों के नेताओं की इस अपील के साथ खत्म हुई कि आपस में एक दूसरे की कटु आलोचना न की जाए।

दोनों देशों के प्रतिनिधि-मंडलों के नेताओं ने अभी दिसम्बर में यह अपील की थी कि पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपने जिम्मेदार अफसरों द्वारा योरोप की राजधानियों में भी भारत को निन्दित करने का अभूतपूर्व आन्दोलन शुरू कर दिया। इस तरह शुरू से ही यह साफ हो गया कि पाकिस्तान की दिलचस्पी न तो मौजूदा मतभदों को दूर करने में है और न काश्मीर समस्या को ही सुलझाने में। वह तो बस भारत पर चीनी हमले से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाना चाहता है।

पाकिस्तान का प्रतिनिधि-मंडल जब जनमत संग्रह की निरर्थक बातचीत से हट कर संभव राजनीतिक हल पर विचार करने पर आया तो उसने बड़े आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर में सिंध, चनाब और झेलम—इन तीन पश्चिमी नदियों के जलग्रह क्षेत्रों और जल विभाजन रेखाओं पर इस बिना पर अपना अधिकार बताया कि सिन्ध जल सन्धि में ये नदियां पाकिस्तान को ही दी गई हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिन्ध जल सन्धि में पाकिस्तान के हितों की पूरी सुरक्षा की गई है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी बिना पर पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर के किसी इलाके पर इसलिए दावा करे कि वह उन नदियों के पानी का इस्तेमाल और उनका विकास करता है। अगर नदी के निचले भाग का मालिक ऊपरी भाग के मालिक के इलाके पर पानी की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर दावा करने लगे तो संसार के अनेक देशों के नक्शों में जर्बदस्त रद्दीबदल करनी पड़ेगी। इस हिसाब से तो निचले हिस्से का मालिक तिब्बत पर भी दावा कर सकता है, क्योंकि सिन्ध और ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत ही से निकलती हैं। पाकिस्तान ने जो दूसरा दावा जम्मू और काश्मीर पर किया वह उतना ही बेतुका था जितना कि पहला। उनका दावा था कि अपनी ग्रैंड ट्रंक रोड और रेलवे लाइन की रक्षा करने के लिए उन्हें यह राज्य चाहिए ही और जैसा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को बताया गया, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य था, पाकिस्तान—इसे “गहराई में रक्षा” कहता है। अन्त में, पाकिस्तान ने मुसलमानों की अधिक जनसंख्या के आधार पर काश्मीर पर अपना दावा जताया। यह एक बहुत ही दूषित साम्प्रदायिक दृष्टिकोण था जो कि उस भावना के एकदम प्रतिकूल था जो स्वतन्त्रता के हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के समय व्याप्त थी, उसकी प्रेरक थी; साथ ही यह हमारे संविधान के, तथा राज्य और व्यक्ति के सम्बन्ध की समस्या के प्रति दृष्टिकोण के भी विपरीत है।

साफ है कि पाकिस्तान का उद्देश्य समस्या का विवेकपूर्ण और वास्तविक हल ढूँढना नहीं था। वे पूरे के पूरे जम्मू और काश्मीर राज्य पर ही दावा करने पर उतारू थे और भारत के पास धुर-दक्षिण में कठुआ जिले के पास एक महत्वहीन इलाका छोड़ना चाहते थे। इतनी उदारता भी शायद

उन्होंने भूल से कर दी थी। उनका यह प्रस्ताव और भी ज्यादा आश्चर्यजनक था कि पाकिस्तान घाटी में छः महीने या एक साल के लिए अन्तरिम प्रबन्ध करने के लिए तैयार है ताकि भारत चीन के साथ मामला निबटा ले ; स्पष्ट है कि वे इस बात के प्रति पूरी तरह सजग थे कि भारत को चीन से लड़ाख की रक्षा करनी है। इस सब का यही मतलब हो सकता था कि भारत चीनी खतरे से लड़ाख की रक्षा करने में अपनी जनशक्ति और साधन लगा दे और जब उसके प्रयत्न और त्याग से लड़ाख मुक्त हो जाए तो भारत जम्मू और काश्मीर पाकिस्तान को दे दे। एक दूसरा प्रस्ताव था घाटी के तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीयकरण का, यह भी छह महीने के लिए, जिसके बाद लोगों की इच्छा जानने का कोई तरीका अपनाया जाए। यह जनमत संग्रह का पुराना और अस्वीकृत विचार था जिसकी आड़ में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र भारत-पाक कमीशन के प्रस्तावों की शर्तों पर अमल न करना पड़ता।

यह अवरोध आ जाने पर, जब कि आखिरी दिन बातचीत बिल्कुल टूटती दिखाई दी, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने युद्ध न करने का समझौता करने की पेशकश की। साथ ही तुरन्त अपनी-अपनी फौज हटा लेने का व्यावहारिक प्रस्ताव भी किया। इस तरह हमने अपने पड़ोसी को फिर यह आश्वासन दिलाने की आशा की थी कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम जो अपनी रक्षा-व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं।

हमारा कहना था कि युद्ध न करने के समझौते में यह बात भी खास तौर पर शामिल की जा सकती थी कि दोनों देश समस्या का शान्तिपूर्ण हल खोजने का प्रयत्न करते रहेंगे क्योंकि हम समस्या को गर्त में डाल देना नहीं चाहते थे। इस तरह के समझौते को संयुक्त राष्ट्र में भी रजिस्टर कराया जा सकता था ताकि उसे अन्तर्राष्ट्रीय आधार मिल जाए। पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया उसका प्रतिनिधि मंडल इस बात पर राजी नहीं हुआ कि फिर से विचार करने और शान्तिपूर्ण समझौते की दिशा में समुचित कदम उठाने के लिए मामला दोनों देशों की सरकारों को ही सौंप दिया जाए। इस तरह पाकिस्तान वहां पहुंच गया जहां वह शुरू से ही पहुंचना चाहता था यानी समझौता न करना और उस सब में अवरोध खड़ा कर देना जो 'काश्मीर और अन्य सम्बद्ध मामले' के अन्तर्गत आ सकता था। यहां आकर पाकिस्तान के साथ मंत्रि-स्तर की बातचीत खत्म हो गई।

मई के पहले पखवाड़े में अमरीका के विदेश मंत्री श्री डीन रस्क और श्री डंकन सैंड्स दिल्ली आए। बातचीत में काश्मीर का सवाल भी उठा। हम ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिलाया कि हम दिल से समझौता चाहते हैं बशर्ते कि समझौता उचित और न्यायसंगत हो। अपनी इच्छा की सच्चाई के सबूत में हम ने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की मध्यस्थता स्वीकार करने को भी तैयार होंगे जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। हालांकि पहले हम ने एक ऐसा ही प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था। फिर भी, पाकिस्तान बिल्कुल असंभव मांगें पेश करता रहा। जून के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सरगोधा में कहा कि इस तरह के तरीके अपनाने से कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के दूसरे प्रवक्ता असंभव शर्तों का सुझाव देते रहे। वे चाहते थे—एक अवधि निश्चित कर दी जाय, इस अवधि में भारत को शस्त्रास्त्र न दिए जाएं, आदि आदि।

हम से बहुत से मित्र, जिन में पाकिस्तान के नेता भी हैं, कहते रहे कि दोनों देशों की संयुक्त रक्षा की दृष्टि से काश्मीर पर समझौता हो जाना परम आवश्यक है। एक बार पाकिस्तान ने यह शिकायत की कि उस ने हमारे सामने संयुक्त रक्षा का प्रस्ताव रखा लेकिन हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। पाकिस्तान का संयुक्त रक्षा का यह प्रस्ताव प्रोपेगेन्डा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था—यह अब पाकिस्तान के नेताओं के बयानों से बिल्कुल साफ़ हो गया है। उन्होंने ने खुले आम यह ऐलान कर दिया है कि अगर काश्मीर का मामला दोस्ताना ढंग से सुलझ गया तो भी पाकिस्तान

चीन के खिलाफ न तो भारत की रक्षा को जायगा और न ही पैकिंग के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात खत्म करेगा। बताया जाता है कि पिछली १७ जुलाई को श्री भुट्टो ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में कहा है कि "अब पाकिस्तान पर भारत का आक्रमण पाकिस्तान की सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता तक ही सीमित नहीं है" बल्कि "यह एशिया के सब से बड़े राज्य की प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा का सवाल है"। उन्होंने ने यह भी कहा कि अगर भारत ने अपनी बंदूकें पाकिस्तान की ओर की तो इस संघर्ष में पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। जाहिर है कि वह चीन का जिक्र कर रहे थे। यह तथ्य भुला दिया गया कि भारत की ये मंशा हरगिज नहीं है कि वह पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए किसी तरह का कोई खतरा पैदा करे या अपनी बंदूकें उस की ओर करे। युद्ध न करने का समझौता करने का हम ने जो बार-बार प्रस्ताव किया वह भी भुला दिया गया। आज पाकिस्तान का बस एक ही उद्देश्य है कि भारत को बदनाम किया जाय और जैसे भी बन पड़े हमारा नुकसान किया जाय। वे नहीं चाहते कि हम इतने मजबूत हों कि चीन का मुकाबला कर सकें। वे तो यही चाहते हैं कि चीन के खतरे के सामने हम निर्बल और असहाय बने रहें। वे इस बात को सुनना भी नहीं चाहते कि भारत को हथियारों की जो सहायता दी जा रही है उस का काश्मीर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हम ने यह बात साफ़ कर दी है कि हम यह चाहते हैं, और हमेशा की तरह यही चाहेंगे, कि पाकिस्तान और भारत की समस्याएं विवेक और वास्तविकता के आधार पर सुलझ सकें, लेकिन घाटी का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने या उस का बंटवारा करने या काश्मीर पर संयुक्त नियंत्रण रखने अथवा इसी तरह के किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार करने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर कभी कोई समझौता हुआ तो वह स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण होना चाहिए और उस से जो प्रगति अब तक हुई उस पर और काश्मीर की स्थिरता पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए और इस से भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच दोस्ती बढ़नी ही चाहिए। बिना किसी समझौते का कोई मतलब नहीं है।

पाकिस्तान की मित्रता प्राप्त करने और दोनों देशों के बीच लाभदायक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करने की आशा से बातचीत के दौरान हम ने न केवल संयम और सहनशीलता से काम लिया बल्कि उदार रियायतें भी उन्हें दीं, लेकिन सब बेकार। यों तो हमें अब भी आशा है किन्तु जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध विवेकशून्य शत्रुता का रवैया अपनाये है तब तक समझौते की बहुत कम संभावना है। हम ने पाकिस्तान को जो रियायतें देने को कहा था, वे अब उस के लिए नहीं हैं; हम उन्हें वापस लेते हैं। हम यह नहीं चाहते कि पड़ोसी के प्रति हमारे मन में जो उदारता और उस से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखने की हमारी जो कामना है उसे पड़ोसी सरकार और अधिक दावों के लिए आधार बना ले। बातचीत का बीच में टूट जाना बड़े खेद की बात तो है, लेकिन तथ्यों को तो हमें स्वीकार करना ही होगा और पाकिस्तान के साथ अपने सभी मतभेदों का समाधान करने के लिए अधिक उपयुक्त समय का इन्तज़ार करना होगा।

समिति के लिये निर्वाचन

†श्री अ० च० गुह (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया गथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उप-नियम (३)

†भूल अंग्रेजी में।